न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—223/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/223)

1. श्री देवीलाल पुत्र घेवरचंद
2. रामदेव पुत्र घेवरचंद
3. मोनिका पुत्री घेवरचंद
   समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम—रामगढ, तहसील—बिजयनगर, जिला ब्यावर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री भगवंतसिंह पुत्र श्री बाघसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम आकरोल, ग्राम पंचायत शिवनगर, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।
2. श्री उदयसिंह पुत्र लाडूसिंह जाति रावत, निवासी ग्राम प्रतापपुरा द्वितीय रामगढ तहसील बिजयनगर ,जिला ब्यावर।
3. राजस्थान सरकार ज़रिए तहसीलदार, बिजयनगर, जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा दिनांक 11.09.2024 राजस्व वाद संख्या 81/2024(2024/285) बउनवानी भगवतसिंह बनाम उदयसिंह में पारित किया गया।

उपस्थितः—

1. श्री, शौकिन्दलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री, धर्मराज शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री, अमीन काठात, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02
4. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03

निर्णय

दिनांकः—07.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 81/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2818 रकबा 0.6310 है. भूमि वाकै ग्राम मौजा रामगढ, पटवार क्षेत्र रामगढ, भू–अभिलेख नि० क्षेत्र रामगढ, तहसील बिजयनगर में स्थित है, उक्त वादग्रस्त आराजी वादी 2/13 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी/सहकास्तकारी की आराजीयात है, उपरोक्त वर्णित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है, उक्त आराजी पर सभी पक्षकार अपना खर्चा कर विकसित किया गया, किन्तु आये दिन सीमा एवं झगडा उत्पन्न होने से एवं वादी को अपनी काबिज शुद्वा आराजी से बेदखल करने में आमादा है, जो वादी एवं प्रतिवादी काबिज अनुसार बंटवारा किया जाना आवश्यक है, वादग्रस्त आराजी के कब्जे बाबत आये दिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काशत में दखलअंदाजी करने में आमादा है, इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य काबिज अनुसार बंटवारा किया जावे, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने दिनांक 27.05.2024 को प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश प्रदान कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.06.2024 की नियत की गई, तत्पश्चयात प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 14.06.2024 को प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री पवनकुमार जीनगर ने यू0टी0 दी गई, जो आदेशिका पर मूर्तिब है, ओर प्रकरण में प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से आगामी पेशी दिनांक 03.07.2024 को वकालनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 14.08.2024 को वास्ते जवाब बाबत उक्त आदेशिका मूर्तिब की गई, जबकी प्रतिवादीगण/अपीलांट की बिना जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये दिनांक 14.08.2024 को ही प्रकरण में बिना विधिक कार्यवाही किये उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा अपीलांट के न्यायहितों को दरकिनार करते हुए दिनांक 14.08.2024 को निर्णय एवं डिकी पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 81/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.8.2024 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष बउनवानी अपील डिक्री टी0ए0 संख्या 194/2024 जिला ब्यावर श्री देवीलाल बनाम श्री भगवतसिंह प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय द्वारा अपील को दिनांक 10.9.2024 को दर्ज कर स्थगन आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश की तलबी आदेश एवं प्रमाणित नकल दिनांक 10.9.2024 को प्राप्त कर दिनांक 11.9.2024 को प्राप्त 11 बजे अधीनस्थ न्यायालय के देने एवं आदेश की जानकारी होने के पश्चात उसी दिन बिना अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई एवं न्यायालय के आदेश अवमानना कारित करते हुए अपीलग्रस्त निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी पारित करने से पूर्व अपीलांट को बिना पूर्ण जवाब एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं राजस्व अभिलेख एवं विधि द्वारा बनाये गये प्रावधान एवं उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, जो राजस्व अभिलेख एवं प्रावधानों के अनुसार न पारित कर, अपीलांट हितों के प्रति वादी को लाभान्वित करने से निर्णय एवं डिकी पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने निर्णय एवं डिकी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पारित करने से प्रकरण में अपीलांट की सुनवाई किए बिना एवं न्यायालय के आदेश होने के उपरांत दिनांक 11.09.2024 को ही एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर अपीलांट की सहमति अंकित कर निर्णय पारित किया गया। अपीलांट के न्यायहितों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया गया, जबकि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने दिनांक 27.05.2024 को प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश प्रदान कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.06.2024 की नियत की गई, तत्पश्चयात प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 14.06.2024 को प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर एडवोकेट श्री पवनकुमार जीनगर ने यू0टी0 दी गई, जो आदेशिका मूर्तिब पर मूर्तिब है, ओर प्रकरण में प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से आगामी पेशी दिनांक 03.07.2024 को वकालनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 14.08.2024 को वास्ते जवाब बाबत उक्त आदेशिका मूर्तिब की गई, जबकी प्रतिवादीगण/अपीलांट की बिना जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये दिनांक 14.08.2024 को ही उक्त वाद पत्र में विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा दिनांक 14.08.2024 को निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 अभिकथनों के अनुसार निर्णय पारित कर दिया, क्योंकि प्रतिवादी/अपीलांट की निर्माण शुद्वा काबिज शुद्वा विकसित की आराजी का वादी के पक्ष में डिक्री पारित की गई, जो कानून की मंशा एवं राजस्व अभिलेख के विपरित निर्णय पारित किया, वादी के वाद पत्र के खण्डन/जवाब का बिना अवसर प्रदान किये एवं बिना किसी पक्षकार का जवाब के बाद तनकीयात कायम किए बिना साक्ष्य प्रकिया अपनाये प्राथमिक स्थिति में जो वाद पत्र का निर्णय एवं डिकी से स्वयं सिद्व है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव बाबत तहसीलदार से बतौर निर्णय की पालना बाबत आदेशित किया तो विभाजन प्रस्ताव के समय भी बंटवारा राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 की बिना पालना किए प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय को भिजवाया गया जो अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अवलोकन किए प्रकरण का अंतिम निस्तारण पारित कर दिया गया जब की बरवक्त विभाजन प्रस्ताव सभी खातेदार को नोटिस देकर आराजी की भौतिक स्थिति मौके काबिज एवं अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का बरवक्त विभाजन तैयार करते समय दोनों पक्षों की मौजूदगी में किया जाना चाहिए उक्त विभाजन प्रस्ताव में स्वयं भूमि धारक तहसीलदार की मौजूदगी एवं स्वयं के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया जैसा– 2016 आर0आर0डी0 पेज 409– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53, 188 विभाजन एवं निषेधाज्ञा हेतु वाद डिक्री किया–एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने हेतु पेश किया प्रार्थना पत्र खारिज किया प्रतिवादी द्वारा द्वितीय अपील वादी ने मौके पर बाहमी विभाजन होना स्वीकार किया–विभाजन प्रस्ताव तलब करने के पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस देना आवश्यक था निर्णित आदेश अपास्त किया तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब करने हेतु प्रकरण एस0डी0ओ0 को प्रतिप्रेषित किया। इस बाबत के प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में आने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त मौजूदा खातेदार को वाद में पक्षकार मुर्तिब किया किंतु सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया वादी/रेस्पोडेंट द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई स्वयं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

को नजरअंदाज कर वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद के कथनानुसार वाद का निर्णय एवं अंतिम डिक्री कर दिया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद कथनों पर विश्वास अपीलग्रस्त निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 81/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2024 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि दिनांक 14.8.2024 को निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार बिजयनगर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र क्रमांक 4379 दिनांक 10.9.2024 को प्रस्तुत किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.9.2024 में कथन किया गया कि प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौका रामगढ पटवारा हल्का रामगढ तहसील बिजयनगर में खसरा नम्बर 2818/1 रकबा 0.0849 है0 किस्म बारानी–3 को उदयसिंह पुत्र लाडूसिंह जाति रावत सा0 प्रतापपुरा द्वितीय खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा नम्बर 2818/2 रकबा 0.0970 है0 किस्म बारानी–3 एवं 2818/4 रकबा 0.0198 है0 किस्म बारानी 3 को देवीलाल, रामदेव पिसरान, घेवरचंद, मोनिका पुत्री घेवरचंद जाति नाई साकिन देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किए। यथानुसार तहसीलदार बिजयनगर राजस्व रिकार्ड में पृथक खाते कायम कर एवं लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम कर इद्रांज करे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.8.2024 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष बउनवानी अपील डिक्री टी0ए0 संख्या 194/2024 जिला ब्यावर श्री देवीलाल बनाम श्री भगवतसिंह प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने दिनांक 27.05.2024 को प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश प्रदान कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.06.2024 की नियत की गई, तत्पश्चयात प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 14.06.2024 को प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर एडवोकेट श्री पवनकुमार जीनगर ने यू0टी0 दी गई, जो आदेशिका मूर्तिब पर मूर्तिब है, ओर प्रकरण में प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से आगामी पेशी दिनांक 03.07.2024 को वकालनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 14.08.2024 को वास्ते जवाब बाबत उक्त आदेशिका मूर्तिब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट की बिना जवाब एवं साक्ष्य का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अवसर प्रदान किये दिनांक 14.08.2024 को ही प्रकरण में कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा दिनांक 14.08.2024 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया तथा पत्रावली को आगामी तारीख 30.8.24 व दिनांक 11.08.2024 नियत करते हुए। दिनांक 11.08.2024 को प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिकी पारित करने से पूर्व अपीलांट को बिना जवाब एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। जो कानून की मंशा एवं वाद पत्र के जवाब का बिना अवसर प्रदान किये एवं बिना किसी पक्षकार का जवाब के बाद तनकीयात कायम किए पारित किया गया है जो निर्णय एवं डिकी से सिद्ध है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा बंटवारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)–1955 के नियम 18 से 21 बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के तहत् नहीं किया गया है तथा तहसीलदार की उपस्थिति में एव ना ही पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की गयी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल)1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधान के तहत् विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा बनाया जाना आदेशात्मक है। उक्त प्रकरण में जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है वह केवल पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार, मसूदा को प्रेषित किया गया है जबकि उभयपक्ष को जवाब दावा का अवसर दिया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 05 की बिना पालना किये प्रकरण का निर्णय पारित किया है तथा प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.08.2024 के आदेश की अपील हाजा न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित कर दिया। उपरोक्त कारणों से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 81/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षकारान को जवाब, सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः प्राथमिक डिक्री जारी होने पर उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते हुए व उक्त रिपोर्ट पर उनकी आपत्ति व जवाब लेकर उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.12.2024 को उपस्थिति होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

07/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner